

**अध्याय-III**  
**वाहनों पर कर**



## अध्याय-III: वाहनों पर कर

### 3.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर वाहन कर एवं फीस का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम 2001, झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) नियमावली, 2001, मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन (के.मो.वा.) नियमावली, 1989 एवं झारखण्ड वित्तीय नियमावली के द्वारा शासित होता है।

झारखण्ड के परिवहन विभाग मोटर वाहन कर एवं शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के प्रति उत्तरदायी है। विभाग का मुख्य कार्य वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र, वाहनों के लिये स्थायी एवं स्थानीय अनुज्ञापत्र, व्यवसायियों का व्यापार प्रमाण पत्र एवं व्यक्तियों को ड्राइविंग/कंडक्टर लाइसेंस निर्गत करना है।

विभाग के सचिव राज्य परिवहन प्राधिकारी होते हैं, जो परिवहन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं तथा राज्य में अधिनियमों एवं नियमों को लागू कराने के प्रति उत्तरदायी हैं। राज्य परिवहन आयुक्त (रा.प.आ.), झारखण्ड परिवहन विभाग के कार्यपालक प्रमुख हैं एवं विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यालय में एक संयुक्त परिवहन आयुक्त (सं.प.आ.), और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (क्षे.प.प्रा.) राज्य के पाँच क्षेत्रों,<sup>1</sup> जिला परिवहन पदाधिकारी (जि.प.प.) एवं मोटर वाहन निरीक्षक (मो.वा.नि.) 24 परिवहन जिलों<sup>2</sup> में उनकी सहायतार्थ पदस्थापित रहते हैं। ये विभागीय पदाधिकारी मो.वा. अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत किये गये अपराधों के शमन हेतु अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं करारोपण आरोपित करने के प्रति जिम्मेदार हैं।

### 3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 27 लेखापरीक्षा योग्य (37 प्रतिशत) इकाइयों में से 10<sup>3</sup> इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच की। इसके अतिरिक्त मार्च 2019 में तीन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों<sup>4</sup> में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की नमूना-जाँच की गयी। लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान राज्य में कुल 46,73,419 वाहन निबंधित थे और 19,086 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र निर्गत किये गये थे,

<sup>1</sup> चाईबासा, दुमका, हजारीबाग, पलामू और राँची।

<sup>2</sup> बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूँटी (मार्च 2015 में अधिसूचित), कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, रामगढ़ (अप्रैल 2015 में अधिसूचित), राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावाँ और सिमडेगा।

<sup>3</sup> जि.प.प का कार्यालय, बोकारो, चाईबासा, चतरा, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, सिमडेगा और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग के कार्यालय।

<sup>4</sup> दुमका, पलामु और राँची।

जिनमें से चयनित नमूना-जाँच इकाइयों में 1,42,662 वाहन निबंधित एवं 19,086 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र निर्गत किये गये थे तथा लेखापरीक्षा ने 26,199 निबंधित वाहनों तथा 3,461 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की जाँच की। वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग ने कुल ₹ 681.52 करोड़ के राजस्व का संग्रहण किया जिनमें से लेखापरीक्षित इकाइयों का संग्रहण ₹ 203.54 करोड़ (30 प्रतिशत) था। लेखापरीक्षा जाँच में करों का अनारोपण/अल्पापण, बैठान क्षमता के गलत निर्धारण के कारण करों का अल्पापण, परिवहन वाहनों, ट्रेलरों, वैयक्तिक वाहनों आदि से देय करों की वसूली नहीं होने संबंधी ₹ 20.60 करोड़ राशि के 6,677 मामले उदघटित हुए, जैसा कि तालिका-3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.1

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	करों का अनारोपण/अल्पापण	3,300	13.87
2	ट्रेलरों से आरोपित कर का उदग्रहण नहीं होना	2,723	2.95
3	बैठान क्षमता के गलत निर्धारण से कम कर का उदग्रहण	25	0.10
4	राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों का नवीकरण नहीं होने के कारण समग्र/ प्राधिकार फीस का उदग्रहण नहीं होना	592	2.33
5	अन्य मामले	37	1.35
कुल		6,677	20.60

विभाग ने सभी लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और 698 मामलों में ₹ 2.54 करोड़ वसूल किये।

इस अध्याय में ₹ 17.86 करोड़ राशि के सन्निहित 5,660 मामलों की अनियमितताओं को वर्णित किया गया है। इनमें से कुछ अनियमितताओं को पिछले पाँच वर्षों के दौरान बारम्बार इंगित किया जाता रहा है, जैसा कि तालिका-3.2 में वर्णित है।

तालिका-3.2

(₹ करोड़ में)

अवलोकनों की प्रकृति	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
प्रमादियों से कर की वसूली न होना	4,204	18.97	4,868	18.75	7,177	32.00	5,417	16.23	14,604	57.73	36,270	143.68
राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों का नवीकरण नहीं होने से समग्र/प्राधिकार शुल्क का उदग्रहण नहीं होना	290	0.76	241	0.33	138	0.41	273	0.98	-	-	942	2.48

### 3.3 प्रमादियों से करों का संग्रहण नहीं होना

माँग पत्र निर्गत नहीं होने और कमजोर आंतरिक नियंत्रणों के कारण 5,068 प्रमादी वाहनों से ₹ 15.48 करोड़ के कर और अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

झा.मो.वा.क. अधिनियम एवं झा.मो.वा.क. नियमावली के अनुसार निबंधित वाहनों के मालिक को देय विहित कर का अग्रिम भुगतान करना है। यदि भुगतान में 90 दिनों से अधिक की विलंब होती है तो कर के साथ देय करों की दोगुनी राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित होता है। नियम अग्रेत्तर यह प्रावधानित करता है कि प्रत्येक कराधान अधिकारी निबंधित परिवहन वाहनों के लिये फॉर्म-एम में कर पंजी और फॉर्म-एन में माँग, संग्रहण एवं बकाया (माँ.सं.ब.) पंजी का संधारण करे। कर प्रमादियों की पहचान के लिये माँ.सं.ब. पंजी को त्रैमासिक आधार पर अद्यतन किया जाना है। परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण के पश्चात, जब किसी भी वाहन के लिये कोई भी कार्य किया जाता है, स्वचालित रूप से आँकड़े वाहन सॉफ्टवेयर में यथा अद्यतन होते जाते हैं। पंजियों के अद्यतन की सुविधा के लिये, वाहन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को सिस्टम से प्रमादियों की सूची जनन करने में सक्षम है। जिला परिवहन पदाधिकारी (जि.प.प.) को प्रमादियों को माँग पत्र निर्गत करना है। अग्रेत्तर, झारखण्ड वित्तीय नियमावली प्रावधानित करता है कि नियंत्रण पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि शासकीय देय को सही एवं यथा समय मूल्यांकन, संग्रहण करते हुए कोषागार में जमा कर दिया गया है। आगे, झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 17 यह अधिकारित करता है कि वाहन मालिक उनके वाहन के सड़क पर अचलायमान होने की स्थिति पर इस आशय का पूर्व में सूचना एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे एवं इस तरह के शपथ पत्र की अनुपस्थिति में उनके वाहन राज्य के सड़क पर प्रयुक्त किया गया या प्रयुक्त करने के लिये रखा गया, समझा जाएगा और वे कर भुगतान के दायी होंगे।

वाहन डंप आँकड़ों के जाँच से यह उदघटित हुआ कि अप्रैल 2017 में राज्य में कर प्रमादी परिवहन वाहनों की संख्या 2,21,206 थी, जिसमें से 82,481 (37.28 प्रतिशत) कर प्रमादी परिवहन वाहन लेखापरीक्षा के लिये चयनित नौ जिला परिवहन कार्यालयों<sup>5</sup> के थे।

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने नौ चयनित जिलों के परिवहन कार्यालयों के 82,481 प्रमादी परिवहन वाहनों में से 5,068 (6.14 प्रतिशत) वाहनों के अभिलेखों का नमूना-जाँच किया। यह देखा गया (जुलाई एवं नवंबर 2017 के मध्य) कि निबंधित मालिकों ने जनवरी 2014 एवं नवंबर 2017 के मध्य देय अग्रिम कर जमा नहीं किया था। वाहन मालिकों द्वारा उनके वाहनों के सड़क पर अचलायमान होने के आशय की पूर्व सूचना एवं शपथ पत्र इन वाहनों में से किसी भी वाहन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। आगे यह देखा गया कि जि.प.प., जो माँग पत्र निर्गत करने के

<sup>5</sup> बोकारो, चाईबासा, चतरा, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार और सिमडेगा।

लिये जिम्मेदार हैं, वे न ही वाहन सॉफ्टवेयर से प्रमादियों की सूची जनित किया और झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के प्रावधानानुसार त्रैमासिक रूप से माँ.सं.ब. पंजी को अद्यतन किया और न ही बकाया कर के लिये कोई माँग किया किया। राज्य परिवहन आयुक्त (रा.प.आ.) और संयुक्त परिवहन आयुक्त (सं.प.आ.) ने प्रमादियों से करों की प्राप्ति के लिये परिवहन कार्यालयों के कामकाज का आवश्यक अनुश्रवण भी नहीं किया। इस प्रकार, विभाग 5,068 वाहनों से ₹ 10.32 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 15.48 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं कर पाया।

मामले को इंगित किये जाने के बाद (जुलाई एवं नवंबर 2017 के मध्य) जि.प.प. ने कहा (फरवरी एवं मार्च 2019 के मध्य) कि बकाये कर की वसूली के लिये कर प्रमादियों को माँग पत्र निर्गत कर दिये गये और प्रभावित नौ जि.प.प.<sup>6</sup> द्वारा 678 वाहनों में से ₹ 2.49 करोड़ की वसूली कर ली। 4,390 वाहनों से ₹ 12.99 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।

मामले सरकार को जून 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।

### 3.4 समेकित/प्राधिकरण फीस का वसूली नहीं होना

राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों के प्राधिकरण की आवधिक समीक्षा करने के तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप प्राधिकरण का नवीकरण नहीं हुआ और विलंब अर्थदण्ड के समतुल्य सहित समेकित/प्राधिकरण शुल्क ₹ 2.38 करोड़ का वसूली नहीं हुआ।

मो.वा. अधिनियम और कें.मो.वा. नियमावली राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पाँच वर्ष की अवधि के लिये जारी करने के लिये निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के लिये प्राधिकरण एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि अनुज्ञापत्र समाप्त नहीं हो जाता है या अनुज्ञापत्र धारक द्वारा इसका समर्पण नहीं किया जाता है। तदन्तर, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के तहत जारी किया गया राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र, पूरे भारत और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिये मान्य है और यह निर्धारित वार्षिक समेकित शुल्क ₹ 16,500 और प्राधिकरण फीस ₹ 1,000 के अग्रिम भुगतान पर निर्गत किया जाएगा तथा विलंब भुगतान पर निर्धारित दर<sup>7</sup> से विलंब शुल्क अधिरोपित होगा। अग्रेत्तर, झारखण्ड वित्तीय नियमावली प्रावधानित करता है कि नियंत्रण पदाधिकारी का दायित्व है कि यह सुनिश्चित करे कि शासकीय देय का सही एवं यथा समय मूल्यांकन, संग्रहण कर कोषागार में जमा कर दिया गया है।

<sup>6</sup> बोकारो, चाईबासा, चतरा, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार और सिमडेगा।

<sup>7</sup> 90 दिनों से अधिक विलंब भुगतान पर 90 दिनों के लिये ₹ 3,000 तदोपरांत एक माह या उसके भाग हेतु ₹ 500 प्रति माह की दर से अधिकतम ₹ 10,000 अर्थदण्ड देय होगा।

लेखापरीक्षा ने (अगस्त 2017 एवं मार्च 2019 के मध्य) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (आरटीए) के चार कार्यालयों<sup>8</sup> द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं का नमूना-जाँच किया और पाया कि 2014 एवं 2018 के मध्य 19,086 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे। अग्रेत्तर 3,461 मामलों की नमूना-जाँच में पता चला कि 592 मामलों में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के आगामी प्राधिकरण को अनुज्ञापत्र की आवधिकता के दौरान नवीनीकृत नहीं किया गया। ये वाहन सड़क पर चलायमान नहीं थे या इनके अनुज्ञापत्र सरेंडर कर दिये गये थे, से संबंधित कोई सूचना नहीं थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि VAHAN सॉफ्टवेयर के अंतर्गत nPermit अनुक्रमणिका में प्राधिकरण की समय सीमा समाप्त हुए राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की सूची बनाने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार, प्राधिकरण के नवीकरण की निगरानी के लिये किसी भी तंत्र के अभाव के कारण विभाग प्रमादी अनुज्ञापत्र धारकों से अनजान था। इसके परिणामस्वरूप विलंब अर्थदण्ड सहित ₹ 2.38 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

मामले को इंगित किये जाने के बाद (अगस्त 2017 एवं मार्च 2019 के मध्य), तीन क्षे.प.प्रा.<sup>9</sup> ने कहा कि प्राधिकरण के नवीनीकरण और बकाया के भुगतान के लिये अनुज्ञापत्र धारकों को माँग पत्र निर्गत किये जाएंगे। क्षे.प.प्रा., हजारीबाग ने सूचित किया (फरवरी 2019) कि 20 मामलों में आगामी प्राधिकरण और वार्षिक समेकित शुल्क ₹ 4.55 लाख राशि की वसूली हो चुकी है। 572 मामलों में ₹ 0.46 करोड़ विलंब अर्थदण्ड सहित ₹ 2.33 करोड़ की वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।

मामले सरकार को जून 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2020)।

<sup>8</sup> दुमका, हजारीबाग, पलामू और राँची।

<sup>9</sup> दुमका, पलामू और राँची।

### लेखापरीक्षा का प्रभाव

- 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 4.3.13 और 4.3.20 में किये गये लेखापरीक्षा अवलोकनों और अनुशंसाओं के आलोक में, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार ने (जनवरी 2019) कर संरचना को संशोधित किया:
  - सार्वजनिक सेवा वाहन (PSV) के कराधान को PSV के वर्गीकरण के आधार पर संशोधित किया गया है (कंडिका 4.3.13)।
  - 12 और 15 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन और व्यक्तिगत वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया गया है। अग्रेत्तर, पुराने वाहनों को कर में छूट देने के लिये कर नीति को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, विभाग ने बैटरी चालित वाहनों पर देय कर पर छूट देने के लिये एक नीति बनायी (कंडिका 4.3.20)।
- विभाग ने इस अध्याय में वर्णित ₹ 17.86 करोड़ में से ₹ 2.54 करोड़ वसूली की सूचना दी है (मार्च 2019)।